

बनाम नं. 1571/P सन्

किस्म मुकदमा

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशाल्य जज

21-8-19

गणतन्त्र मय सिविल कोर्ट गान्धी नगर
दरभंगा जिले वासिना मय गाम
अपुनाना गाम के नोरीस गान्धी
समय वासि गाम, दिनांक 11-8-19
को पठ्य.

उपखण्ड अधिकारी
दरभंगा (सीटवाला)

11/9

कमलेश प्रिय वसन्त प्रसाद उपाय
अपुनाना मय मय 15 गाम
यन्त प्रसाद उपाय मय
पेय मय मय गाम
दिनांक 23-8-19 को पठ्य

उपखण्ड अधिकारी
दरभंगा (सीटवाला)

23/9

पत्रावली पेय हुई। उमय मय उपस्थित।
पत्रावली के निरीप की प्रती पेय की। पत्रावली
दि. 14.10.19 को पेय है।


उपखण्ड अधिकारी
दरभंगा (सीटवाला)

14/10

पत्रावली पेय हुई। उमय मय उपस्थित। उमय
पत्रों ने बहर करनी चाही। उमय पत्रों की बहर
मुनी गई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की वादीया
द्वारा एक इच्छना अन्तर्गत चारा 152 ज.स. की. पेय
कर निर्दिष्ट किया की वादीया ने न्यायालय में खाली
घोषणा करवा देना किया। जिसो माननीय न्यायालय
द्वारा 13.06.2018 को स्वीकार करमाया निर्णय
पारित किया गया। न्यायालय द्वारा निर्णय में ग्राम
धरालिया चारथान, भगवानपुरा, ललाशेशु, मालवी
का खेडा में स्थित इधे भूमिया में 1/2 एक व हिस्से के
द्विमे खानेदार का इतरकार घोषित किया था किन्तु
उक्त इधे भूमियां पर जारिबदी सं. 1 ने की. वादी
द्वारा पठेर से सिद्ध के रहा है जबकी वादीया ने
इधे भूमि पर बंद ले नहीं लिया है। P.T.O.

खातेदारी अधिकार की घोषणा न्यायालय की
 गई उसमें लिपिकिय भूलबुझ में 1/2 एक व हिस्से
 की भाँति का रइन दाखला रखते हुए भूमि दर्ज करने का
 आदेश पारित किया है। जबकि मुद्दा वादिया के कोई
 प्रमाण नहीं दिया है इस कारण में 1/2 एक व हिस्से
 की भाँति में ही रइन का रइन का दाखला आदेश को
 संशोधित कर में 1/2 एक व हिस्से से रइन का
 दाखला रपदख जमाबन्दी से इलाका जाना प्रमाण
 पत्रावली में उभयपक्षों की बख्त सुनी गई। एवं पत्रावली
 का आबलो कम किया गया। उक्त भूमि वादिया एवं
 प्रतिवादी सं. 01 के नाम 1/2, 1/2 एक हिस्से अनुसार
 खातेदारी दर्ज है। जिससे उक्त भूमि पर रइन की
 वादिया एवं प्रतिवादी सं. 01 के 1/2, 1/2 हिस्से पर
 दर्ज किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः वादिया का कार्यमा पत्र आदेश रइन से
 रबीकार किया जाकर वादिया एवं प्रतिवादी सं. 01 के
 एक हिस्से में खातेदारी भाँति में रइन का दाखला
 वादिया के 1/2 एवं प्रतिवादी सं. 01 के 1/2 हिस्से
 रइन का दाखला लगाया जावे। इस बाबत संशोधित
 डिट्टी जारी की जावे। पत्रावली में रइन शुमार होकर
 नम्बर से कम ही।


 उपखण्ड अधिकारी
 जहाजपुर (भीलवाड़ा)

